न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 157 / 2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
काचुडी पुत्री स्व. आशाराम जाति मेघवाल निवासी कडलू हाल निवासी कंकडाय तहसील मुण्डवा।		1फेफाराम पुत्र स्व. आशाराम 2 सिपुडी पत्नी स्व. आशाराम जातियान मेघवाल निवासीगण कडलू तहसील मुण्डवा। 3राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश सेन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गंगासिंह कालवी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
4. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम कडलू के नामान्तरकरण सं. 770 निर्णय दिनांक 13.03.78 व तहसीलदार, नागौर के नामान्तरकरण सं. 2877 दिनांक 07.01.11 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.09.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.12.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री रमेश ढाका तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 770 दिनांक 13.03.78 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं. 2877 दिनांक 07.01.11 की फोटोप्रति, काचूडी के आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा सिपूडी के वोटर आईडी की फोटोप्रति पेश की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(I)–वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि नायब तहसीलदार नागौर ने बिना कोई पूछताछ किये ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से जरिये उसकी माता सिपुडी के नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया एवं तत्पश्चात दिनांक 07.01.11 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 बालिग हुआ संपूर्ण भूमि नामान्तरकरण सं. 2877 के जरिये अपने अकेले के नाम इन्द्राज करवा ली। जिसकी भी जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 को नही थी। अभी अगस्त 2016 में अपीलांट खेतो की खतौनी लेने के लिये तहसील मुण्डवा गई तथा वहां से खतौनी की नकल प्राप्त की, तब उसे उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई। जिससे उक्त अपील पेश की गई। जिससे अपील को प्रथम जानकारी की दिनांक से अवधि की गणना करते हुए अंदर मियाद माना जाना चाहिये।

2}(II)–अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्व. आशाराम के पुत्र पुत्री है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 स्व. आशाराम की पत्नी है। आशाराम की मृत्यु 1977 में हुई। तब अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 नाबा. थे तथा बिना कोई पूछताछ किये ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से जरिये माता सिपुडी नामान्तरकरण भर दिया तथा दिनांक 07.01.11 को रेस्पोडेन्ट बालिग हुआ तब नामान्तरकरण सं. 2877 के संपूर्ण भूमि उसके नाम कर दी। जबकि अपीलांट स्व. आशाराम की बेटी व सिपुडी उसकी पत्नी उतराधिकारी होते हुए भी उनका नाम दर्ज नही किया है। भूमि पुश्तेनी होने से व आशाराम के तीन वारिस होने से तीनों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये था। नायब तहसीलदार नागौर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करने के आदेश दिनांक 13.03.78 वास्तविक तथ्यों व स्थापित विधि के विरूद्व पारित किया गया होने के कारण निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसके संबंध में उसके सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु नायब तहसीलदार नागौर ने उसके सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण अपीलांट व अन्य प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत का आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो विधि व प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–उपरोक्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट सं. 1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा बल्कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का कब्जा काश्त था व आज दिन भी है। जिसमें अपीलांट व उसकी माता की ढाणी भी बनी हुई है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का कब्जा है। मगर नायब तहसीलदार, नागौर व तहसीलदार नागौर व अन्य राजस्व अधिकारियों ने इस बिन्दु पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध है।

{2}(V)–वादग्रस्त भूमि का जो नामान्तरकरण भरा गया है। उसमे तो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम का भी उल्लेख नही किया गया है। इससे प्रकट होता है कि स्व. आशाराम के सभी वारिसान को उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने के पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया। जबकि उपरोक्त नामान्तरकरण को स्वीकार करने के पूर्व सभी उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी वारिसान अर्थात अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम भी नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण जांच किये बिना ही केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात सन 2011 में भी किसी प्रकार की जांच किये बिना ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिलीभगत केवल मात्र उसके नाम से नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश पारित कर दिया। इसलिये भी आदेश जैर अपील अवैध है।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि –

{3}(I)–रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 770 निर्णय दिनांक 13.03.78 के विरूद्व अपील 40 वर्ष पश्चात व नामान्तरकरण सं. 2877 निर्णय दिनांक 07.01.11 के विरूद्व 7 साल बाद अपील पेश की गई है तथा देरी का पर्याप्त कारण भी नही बताया गया है। जबकि देरी के लिये प्रत्येक दिन का हिसाब देना पडता है। नामान्तरकरण सं. 2877 की नकल 23.11.16 को अपीलांट को प्राप्त हुई जबकि इसके विरूद्व अपील 19.09.16 को ही प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार को अपीलांट को सभी जानकारी होते हुए भी अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। जो मियाद के प्रश्न पर चलने योग्य नही है।

{3}(II)–दो पृथक् पृथक् नामान्तरकरण आदेशों की एक अपील पेश की गई है। जो चलने योग्य नही है। प्रथम नामान्तरकरण नाबालिग के नाम दर्ज हुआ है तथा वो बालिग होने पर माता का नाम हटाया गया है। इसमें विधिक कोई त्रुटि नही है। इसलिये आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने से यथावत रखे जाने चाहिये।

वकील अपीलांट ने जवाबी बहस करते हुए बताया कि अपील से संबंधित आराजी भूमि के खसरा दोनो नामान्तरकरणों से संबंधित एक ही है। इसलिये एक अपील की गई है। ऐसे मामलों में अलग अलग अपीले नही की जाकर एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। जो कानूनी रूप से सही है।

{4}– वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा वकील अपीलांट की बहस का समर्थन किया गया है।

{5}– उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम कडलू के खसरा नं. 359, 305, 361 व 872/5 के खातेदार फौत होने पर उसके वारिसान के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 770 दिनांक 13.03.78 व ग्राम कडल के खसरा नं. 305, 359, 1891/361 व 1906/872 के द्वारा खातेदार फेफाराम नाबालिग से बालिग होने पर नामान्तरकरण सं. 2877 दिनांक 07.01.11 को स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 19.09.16 को प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण सं. 770 की अपील करीब 38 वर्ष पश्चात व नामान्तरकरण सं. 2877 की अपील करीब 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट इतने लंबे समय तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रहा हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। अब उसका यह कथन कि उसे आदेश जैर अपील की पूर्व में जानकारी नही हो, जो विश्वसनीय प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है। साथ ही एक

अपर कलक्टर, नागौर

ही अपील के द्वारा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 13.03.78 व 07.01.11 को चैलेंज किया गया है। जबकि प्रत्येक आदेश की पृथक पृथक अपीले प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 फेफाराम नाबालिग से बालिग होने पर भरे जाने वाले नामान्तरकरण दिनांक 07.01.11 मे अपीलांट का हक कैसे उत्पन्न होते है। ऐसा भी स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर